भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 992

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कामगारों हेतु योजनाएं

992. श्री अरुण गोविल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुशल भारतीय श्रमिकों को रोजगार पाने के लिए विदेश भेजने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों में भारतीय कामगारों को भेजे जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार और उनके हितों की रक्षा के लिए कई देशों के साथ द्विपक्षीय गतिशीलता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/समझौतों का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करना, अवैध प्रवास को रोकना और कौशल विकास का समर्थन करना है। प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते (एमएमपीए) का उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करना और हमारे छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और पेशेवरों के लिए गतिशीलता को बढ़ावा देना है, जिन पर पहले ही फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, इसी तरह के समझौते के लिए साइप्रस, स्विट्जरलैंड, गुयाना, ग्रीस, हंगरी, फिनलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के साथ भी चर्चा शुरू की गई है।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/समझौते किए गए हैं जो श्रम और जनशक्ति से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए बेहतर ढांचा प्रदान करता है। श्रम और जनशक्ति से संबंधित सभी मौजूदा मुद्दों पर संबंधित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) द्वारा चर्चा की जाती है। इसके अलावा, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए, जो अक्सर सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं, सऊदी अरब और कुवैत के

साथ घरेलू क्षेत्र के लिए श्रम सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ घरेलू कामगारों संबंधी एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, ताइवान और मलेशिया के साथ श्रम गतिशीलता समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) के माध्यम से नौकरी मिलान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी लागू कर रहा है। एनसीएस पोर्टल पर अंतरराष्ट्रीय नौकरियों संबंधी मॉड्यूल, विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंटों (आरए) को, एनसीएस पोर्टल पर अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर पोस्ट करने और नौकरी चाहने वालों को इन अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसरों की खोज और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****